

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 27, गुरुवार, श०के 1947- दिसम्बर 18, 2025 Agrahayana 27, Thursday, Saka 1947- December 18, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-गुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 17, 2025

जी.एस.आर.121 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्यांकन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 23.07.2003 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 24 का संशोधन.- राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 के नियम 24 के विद्यमान उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(8) अध्यक्ष के रूप में, आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, सदस्य के रूप में कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो शासन उप-सचिव की रैंक से नीचे का न हो, सदस्य के रूप में आयोजना विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो, सदस्य-सचिव के रूप में निदेशक, मूल्यांकन, से गठित कोई समिति, उन समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग पर पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं, और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति के मानक के अनुसार, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट करने वाली, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता-सह-योग्यता

और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद (पदों)-प्रवर्ग, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठताक्रम में व्यवस्थित की जायेगी।”

[सं. एफ. 1(8)डीओपी/ए-11/89]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 17, 2025

G.S.R.121. -In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Evaluation Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 23.07.2003.

2. Amendment of rule 24.- The existing sub-rule (8) of rule 24 of the Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979 shall be substituted by the following, namely:-

“(8) A Committee consisting of the Chairman of the Commission or a Member thereof nominated by him as Chairman, the Principal Secretary/ Secretary to the Government in the Department of Personnel or his representative not below the rank of the Deputy Secretary to the Government as Member, Principal Secretary/ Secretary/ Special Secretary to the Government in the Planning Department or his representative not below the rank of the Deputy Secretary to the Government as Member and the Director, Evaluation as Member-Secretary, shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post (s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority cum merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post (s) from which selection is made.”

[No. F. 1(8)DOP/A-2/89]

By order and in the name of the Governor,

DR. MUKUT BIHARI JANGID,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.